GCMS संख्या 2022/140
प्रकरण संख्या 97/22
श्री रितिक बनाम श्री हिरालाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/140
प्रकरण संख्या 97/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री रितिक पुत्र लक्ष्मीलाल जाति सुथार निवासी चायलो का खेड़ा, तह0 मावली, उदयपुर जरिये संरक्षक पिता श्री लक्ष्मीलाल।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हिरालाल पुत्र श्री कन्ना जाति जणवा निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
2. श्री मांगीलाल पुत्र श्री उंकार जाति जणवा निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
3. श्री मांगीलाल पुत्र श्रीकेशुराम जाति जणवा निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
4. श्री कालु पुत्र श्री नारायण जाति गाडरी निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
5. श्री वेणीराम पुत्र श्री नारायण जाति गाडरी निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
6. श्री लोगर पुत्र श्री हरिराम जाति गाडरी निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
7. श्री रामलाल पुत्र श्री गुलाब जाति सुथार निवासी चायलों का खेड़ा, तह.मावली, उदयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर।

............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मदनलाल मेघवाल।

निर्णय **दिनांक : 09.06.2022**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खड़ौदा, पटवार हल्का बरोड़िया भू. अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 157 की आराजी संख्या 343 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 158 की आराजी संख्या [illegible] आराजी संख्या 338 रकबा 0.6000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारो तरफ तारंबन्दी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 16.05.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा खड़ौदा, पटवार हल्का बरोड़िया भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 157 की आराजी संख्या 343 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 158 की आराजी संख्या 337 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 338 रकबा 0.6000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 7 [illegible] पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत [illegible] ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा खड़ौदा, पटवार हल्का बरोड़िया भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव, तहसील

उपखण्ड अधिकारी भी[ण्डर]
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 157 की आराजी संख्या 343 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 158 की आराजी संख्या 337 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 338 रकबा 0.6000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा खड़ौदा, पटवार हल्का बरोड़िया भू.अभिलेख निरीक्षक वृत बड़गांव, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 157 की आराजी संख्या 343 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 158 की आराजी संख्या 337 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 338 रकबा 0.6000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

9/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner